



# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय रवशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम

सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (मोप्र०)

E-mail:- [deanratlam@gmail.com](mailto:deanratlam@gmail.com) वेबसाईट :- [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226 पिनकोड़ :- 457001

DONATE ORGAN - SAVE LIFE

अंगदान करें - जीवन बचाएं

क्रमांक : ८०४३ / रथा. / जो.एग.री. / विशेषि / 2022

रतलाम, दिनांक :- 28/4/2022

## —:: विज्ञप्ति सूचना पत्र ::—

शासकीय रवशासी चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम में रवशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. 341/रथा./अराज/2021 भोपाल दिनांक 26.03.2021 द्वारा प्राप्त परिचारिका संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर शासकीय रवशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम एवं संबद्ध चिकित्सालय में स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों पर केवल महिला अभ्यार्थियों के आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

स्टॉफ नर्स के पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम दिनांक ..... समय रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकेंगे।

### महिला स्टॉफ नर्स के कुल रिक्त पद संख्या :- 74

रोडी भर्ती :- महिला स्टॉफ नर्स कुल पद - 56

| स.क्र. | श्रेणी                    | बिना वर्ग | भूतपूर्व सैनिक | दिव्यांग | कुल योग |
|--------|---------------------------|-----------|----------------|----------|---------|
| 1      | अनारक्षित                 | —         | 08             | 05       | 13      |
| 2      | अनुसूचित जाति             | —         | 05             | 03       | 08      |
| 3      | अनुसूचित जनजाति           | —         | 06             | 04       | 10      |
| 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग          | —         | 08             | 05       | 13      |
| 5      | आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग | 07        | 03             | 02       | 12      |
| योग :- |                           | 07        | 30             | 19       | 56      |

सीधी भर्ती :— महिला स्टॉफ नर्स कुल पद — 18 (संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षित)

| स.क्र. | श्रेणी                    | बिना वर्ग | भूतपूर्व रैनिक | दिव्यांग | कुल योग |
|--------|---------------------------|-----------|----------------|----------|---------|
| 1      | अनारक्षित                 | —         | 02             | 01       | 03      |
| 2      | अनुसूचित जाति             | —         | 01             | 01       | 02      |
| 3      | अनुसूचित जनजाति           | 01        | 01             | 01       | 03      |
| 4      | अन्य पिछड़ा वर्ग          | —         | 02             | 01       | 03      |
| 5      | आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग | 07        | 00             | 00       | 07      |
| योग :— |                           | 08        | 06             | 04       | 18      |

### 1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :—

|            |  |
|------------|--|
| स्टॉफ नर्स | <ol style="list-style-type: none"> <li>अध्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए।</li> <li>बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित।</li> <li>मध्यप्रदेश नर्सिंग कौसिल में पंजीकृत परिचारिका।</li> </ol> |
|------------|--|

### 2. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :—

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| पद का नाम  | 7वां वेतनमान मेट्रिक्स अनुसार |
| स्टॉफ नर्स | 28700 (लेवल-7)                |

महगांडी भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे। नियुक्त कर्मचारी पर नवीन पेशान योजना शासन के आदेशानुसार प्रभावी होंगी।

### 3. आरक्षण :—

- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमज़ोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
- उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अस्थार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हों।
- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प्र. /एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम-4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अन्तर्गत “4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध” में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंडि, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध नियुक्त किया जायेगा जिस हेतु आवेदक ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं साथ ही जाति प्रमाण पत्र एवं योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज संलग्न करना अति आवश्यक है।

उम्मीदवार के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ ८-४/२००१/आ.प्र./एक (पाठ) भोपाल दिनांक १७ अक्टूबर २०१८ अनुसार रहेगा।

६. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों (केवल महिला) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-९-३/२०१२/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक २२ रितांबर २०१२ के अनुसार रहेगा।
७. रायिता पर नियुक्त कर्मचारियों को २० प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी ५-२/२०१८/१/३ भोपाल दिनांक ०५ जून २०१८ के अनुसार रहेगा।
८. उपर्युक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ ०७-११/२०१९/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक ०२ जुलाई २०१९ के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ राक्षग प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

#### ४. आयु सीमा:-

- |   |   |
|---|---|
| १. अनारक्षित वर्ग हेतु  | - न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम ४० वर्ष                                      |
| २. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय /गिराम/मण्डल स्वशासी संरथा के कर्मचारियों/नगर सैनिक /नि.शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु | - न्यूनतम १८ वर्ष एवं अधिकतम ४५ वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में ०५ वर्ष की छूट) |

नोट:- आयु की गणना ०१ जनवरी २०२२ के आधार पर की जावेगी।

#### ५. सामान्य शर्तेः-

१. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
२. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
३. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपकरण में कार्यरत है एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु रीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोगता द्वारा जारी अनिपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
४. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेशर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शारान के वर्तमान प्राविलिय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगा।
५. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
६. अधिष्ठाता, चिकित्सा गहाविद्यालय रत्नाम किसी भी समय किसी भी रत्नाम पर आंशिक या पूर्ण विज्ञापित या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में गहाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
७. वैयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
८. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्डॉर में गान्य होगा।
९. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक २६.०१.२००१ तथा उसके बाद तृतीय वच्चे का जना हुआ है, वैयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
१०. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेत न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।

11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी।
12. महिला रटॉफ नर्स की चयन सूची एवं ट्रांसजेंडर महिला आवेदकों की चयन सूची पृथक-पृथक तैयार को जावेगी।
13. म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 04.03.2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार म.प्र. शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साथ राज्य में केन्द्र शासन द्वारा संचालित नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट पृथक से बनाकर महाविद्यालय को प्रेषित की जावे, इनकी चयन प्रक्रिया का बोटेज निम्नानुसार रहेगा :—

### रटॉफ नर्स

| Higher Secondary<br>(12th) Percentage<br>(% x 0.2 )<br>(Max 20 Marks) | BSC / GNM<br>Percentage<br>(% x 0.7 )<br>(Max 70 Marks) | MSC = 10 | Total = 100 |
|---|---|----------|-------------|
|---|---|----------|-------------|

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 04.03.2022 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार म.प्र. नर्सिंग स्कूल, शासकीय/स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साथ राज्य में केन्द्र शासन द्वारा संचालित नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को रक्खुटनी में उपयुक्त पाये जाने पर स्टॉफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित परिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात रटॉफ नर्स की परीक्षा लो जावेगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यार्थियों को नियमित रथापना के पदों में नियुक्त विभाग जावेगा।

14. संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
15. सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को नियमित पदों पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, संविदा अधिकारी/कर्मचारियों का आशय है कि वर्तमान अथवा पूर्व में संविदा पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :—
- 15.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किये जाने वाले पदों में 20 प्रतिशत पर संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के लिये आरक्षित रहेंगे किन्तु इस नीति के अन्तर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी।
- 15.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :—
- 15.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदन न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्ति रहा हो 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
- 15.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वांछित हैं, उन्हें वह पूर्ण करता हो।
- 15.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने वैभेन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।
- 15.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा वर्ष सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

15.7 विसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञाप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अहता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाए।

15.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हें पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

15.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिरप्तिधात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कठाँफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

15.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। इसी रिथ्टि में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है। उसके सामाजिक एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में दिलाई जाएगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञाप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

16. यथन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की रिथ्टि में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी रिथ्टि में जब उपरोक्त दोनों रिथ्टियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वी में अधिक अंक प्राप्त आयार्थी को वरीयता दी जावेगी।

17. स्टॉफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

## 6. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र :--

राँफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु रोगा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। रोगा अनुबंध राँफ प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के बेतन/मानदेश के बराबर की राशि द्वारा शाराकीय दिक्कित्सा भावाविद्यालय रत्ताम को चुकानी होगी। यह देश रासि रांभिति रोगी भू-राजारव की बकाया की भागि नरूली योग्य होगी।

## 7. अनहर्ताएः :--

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चरन के लिये उत्तरावधि उम्मीदवारी निररत की जा सकेगी और/या उसे या तो रथायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विनिर्जित कर दिया जाएगा :--

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो या
2. कूटरायित दरतावेज या ऐसे दरतावेज प्रतिरूपण किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
3. वयन के किसी भी रूप पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रगत्र/अनुप्रमाणन/दरतावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
4. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
5. राक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धगकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्घटनाक घटना हो या

6. अंवेदकों का मध्यप्रदेश राजिल सेवा (रांगों की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति :-

लिये वह उमीदवार अपात्र होगा जो गिर्म में से कोई हो : -

अ. यहिला उमीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो रही गांगले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिवधि से छूट दे सकता है।

ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से रवरश्य नहीं पाए गए।

रा. किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

द. जिसकी दो या दो अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निराहित नहीं होगा यदि एक संतान या जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो या दो अधिक संतान का जन्म होता है।

7. ऐसा उमीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मांगले में दोष सिद्ध हुआ हो।

8. आरक्षण का लाभ लेने वाले उमीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण पत्र आवश्यक हैः-

1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवारी प्रमाण पत्र।

2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर कीमी लेनेर प्रमाण पत्र।

9. स्टॉफ नर्स के पद पर आवेदन संबंधी समय तालिका:-

| क्रमांक | गतिविधि                                  | तारीख |
|---------|--|-------|
| 1       | आनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि        |       |
| 2       | आनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि      |       |
| 3       | अवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि |       |
| 4       | आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि   |       |

उपलेक्ष तिथियों विकित्सा महाविद्यालय रतलाम की आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकती है।

एम.पी. ऑनलाईन तथा शाराकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम की वेबसाईट का रामय-समय पर आवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा वीर्य कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50 रुपये तथा जी.एस.टी. जमा कर रुधार कर सकेंगे। परन्तु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी रिकॉर्ड में आवेदक की अस्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।

10. आवेदन शुल्कः-

अनारक्षिल वर्ग हेतु 1000/- रुपये ( 200/- विभागीय शुल्क एवं 800/- एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 800/- रुपये ( 800/-एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क ) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ( केवल गैर कीमीलेसर ) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग ) के लिये 900/- रुपये ( 100/- विभागीय शुल्क एवं 800/- रुपये एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क ) राशि ऑनलाईन जमा होगी।

11. आवेदन कैसे करे :-

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा तिक्क से लाउगलोड कर राकर्ते हैं।
- आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

प्रतीक्षा के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित रकैन की गई प्रतियों उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-

1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र
2. आयोदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबन्धित डिप्लोमा/डिप्लोमा/फाईल ईगर की मार्कशीट।
3. मध्यप्रदेश में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
4. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
5. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
6. 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
7. जाति प्रमाण पत्र।

8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं रिम्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।  
4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आवेदनपत्र एम.पी. आगलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर रथापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम.पी. आगलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर Authorised Kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्थायं भी अपना ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं।

5. इंटरनेट कैफे या स्थायं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

- आवेदक एम.पी. आगलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) वेबसाईट के माध्यम से होम पेज में गायरिक रोवाएं ऑफ़िशन पर विलक्क तरे फिर ड्राप डालन लिस्ट से आवेदन ऑफ़िशन पर क्लिक करने के पश्चात शाराकीय चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम के लोगो पर विलक्क कर एप्लिकेशन एल रार्डरोज ऑफ़िशन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिये दी हुई लिंक पर विलक्क करें।
- आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी.ऑनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम की वेबसाईट [www.gmcraillam.org](http://www.gmcraillam.org) पर दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ले इसके उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करने के लिये फार्म पर विलक्क करें। इसके उपरांत आवेदक को स्कीन पर ऑनलाईन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समरत जानकारियां सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पूर्ण पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। जिसमें आवेदक को अपना नवीन फोटो हस्ताक्षर राहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर विलक्क करें) दिखाई देगी Hyperlink को विलक्क करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिट लेकर उचित रथान पर फोटो चिपका कर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फारमेट का स्कैन कर .jpg 200 KB size or minimum) फारमेट में ही रोप करें। अब आवेदक Browse बटन पर विलक्क करे इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर रकैन कर राग किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
- आवेदक ऑनलाईन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ले और यह सुनेशियल कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर ले इसके उपरांत Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक अवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑफ़िशन दिखाई देंगे।  
अ. केडिट /डेबिटकार्ड ब. इंटरनेट बैंकिंग

- अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः— आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफ गोपनीय वैदेशी भी सच्च इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed To payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर राखित बैंक का पेमेन्ट मेट्रे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान भीना जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांसेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- ब. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतानः— आवेदक चाहे तो सच्च घर बैठे इंटरनेट गोपनीय इंटरनेट बैंकिंग कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त Proceed To payment बटन दबायेगा यहां पर उसी इंटरनेट बैंकिंग ऑफान दिखाई देगा। इसे विलक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉग-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नगद और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य ले।
6. एप.पी. ऑनलाइन कियोर्स्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :—  
आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोर्स्क पर जावेगा। कियोर्स्क संचालक [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) वेबसाईट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग-इन टाईप में कियोर्स्क सिलेक्ट कर लॉग-इन करेगा। इसके उपरान्त सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक वो उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी समस्त जानकारियाँ फार्म में सही से भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोर्स्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरता ले एवं राथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोर्स्क आवेदक का फोटो हरताकार रखें कर उचित रथान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी हुई रागत सावधानीपूर्वक पढ़ ले तथा अपने पास सभाल कर रखें।
7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरादायित्व आवेदक को होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।
8. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोर्स्क के माध्यम से Pay for unpaid application लिंक द्वारा परीक्षा का शुल्क नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
9. इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गए बिन्दु में दर्शायी गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाइन पर अधिकृत कियोर्स्क पर जाकर भरे गए फार्म का आवेदन क्रमाक्र एवं अपनी जन्मतिथि कियोर्स्क संचालक को बताना होगा इसके उपरान्त कियोर्स्क संचालक Pay for unpaid application में उक्त जानकारियाँ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed To payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोर्स्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्रदान करेगा इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभाल कर रखें। ऑनलाइन पैमेन्ट करने पर,

कहे पैमेन्ट रिजेक्ट हो जाता है तो/पैमेन्ट रसीद जनरेट नहीं हो रही तो तत्काल पुनः पैमेन्ट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पैमेन्ट के आगाम में आवेदन खतः निररत हो जावेगा।

ऐसे आवेदन रत्नीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी.ऑनलाइन के स्टॉक या किसी अन्य गाध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का फैसला नीचे आवेदक की ही मानी जावेगी।

**नोट :-** यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गए दूरभाष नम्रता पर तत्काल सम्पर्क करें एवं रामरस्या का समाधान न होने पर एम.पी.ऑनलाइन के होमपेज सम्पर्क करें गें क्लीक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई.टी.पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गाँधी नगर भोपाल - 462033, फोन :— 0755-6720200 / 0755-6720222 पर संपर्क करें।

## 12. महत्वपूर्ण टीप :—

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे एम.पी.ऑनलाइन/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रत्नाम की वेबसाइट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में एम.पी.ऑनलाइन/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निररत की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

नवीन सूचनाओं हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रत्नाम की वेबसाइट [www.gmcratlam.org](http://www.gmcratlam.org) का अवलोकन निरंतर करते रहें।

 DEAN  
डॉ. जितेन्द्र पटेल  
Government Medical College  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी Rattlam (M.P.)  
पाठ्यालय  
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रत्नाम